मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३३ सन् २०१९

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-७) विधेयक, २०१९

वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-७) अधिनियम, २०१९ है.

वित्तीय वर्ष २०१९-२० के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये २,३३,१९,५१,९४,०८२ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये तेईस हजार तीन सौ उन्नीस करोड़ इक्यावन लाख चौरानवे हजार बयासी मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन		(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां — विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	**रुपये**	रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन				
		राजस्व	८०,००,००,०००	**१,२२,९३,७५०**	८१,२२,९३,७५०
		पूंजी	७,२७,२५,४००	०	७,२७,२५,४००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय				
		राजस्व	२९,००,०००	०	२९,००,०००
०३.	पुलिस				
		राजस्व	९५,००,००,०००	०	९५,००,००,०००
		पूंजी	१३,००,००,०००	०	१३,००,००,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय				
		राजस्व	२२,१४,००,०००	०	२२,१४,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
०६.	वित्त				
		राजस्व	७०,२१,५००	०	७०,२१,५००
०७.	वाणिज्यिक कर				
		राजस्व	२४,००,००,०००	०	२४,००,००,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन				
		राजस्व	४,००,००,०००	०	४,००,००,०००
१०.	वन				
		राजस्व	१,०४,६९,३१,२००	०	१,०४,६९,३१,२००
		पूंजी	६२,५१,९६,०००	०	६२,५१,९६,०००
११.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन				
		राजस्व	१०,००,०००	०	१०,००,०००
		पूंजी	३६,८९,००,०००	०	३६,८९,००,०००
१२.	ऊर्जा				
		राजस्व	२१,३०,००,००,०००	०	२१,३०,००,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
		राजस्व	४१,०५,७२,१००	०	४१,०५,७२,१००
१४.	पशुपालन				
		राजस्व	१०,१७,९९,०००	**७,८६,०००**	१०,२५,८५,०००
१६.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास				
		राजस्व	०	**५,२१,५००**	५,२१,५००
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
		राजस्व	१,००,८७,७०,०००	**७,००,००,०००**	१,०७,८७,७०,०००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
		राजस्व	२५,००,००,०००	**४,५०,००,०००**	२९,५०,००,०००
२२.	नगरीय विकास एवं आवास				
		राजस्व	३०,५४,००,०००	०	३०,५४,००,०००
		पूंजी	२,३३,००,००,०००	०	२,३३,००,००,०००

(१)	(२)		(३)	
		रुपये	रुपये	रुपये
२३.	जल संसाधन			
	राजस्व	२००	०	२००
	पूंजी	१५,००,००,००,७००	०	१५,००,००,००,७००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.			
	राजस्व	१,५०,००,००,०००	०	१,५०,००,००,०००
	पूंजी	४,५०,००,००,६००	०	४,५०,००,००,६००
२६.	संस्कृति			
	राजस्व	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)			
	राजस्व	१४,३४,८२,००,०००	०	१४,३४,८२,००,०००
	पूंजी	१,७७,००,००,०००	०	१,७७,००,००,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य			
	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी			
	राजस्व	१००	०	१००
३३.	आदिम जाति कल्याण			
	राजस्व	१५,२७,९३,५१,०००	०	१५,२७,९३,५१,०००
३४.	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण			
	राजस्व	७४,७२,०२,२००	०	७४,७२,०२,२००
३५.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम			
	पूंजी	५०,०००	०	५०,०००
३७.	पर्यटन			
	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
३८.	आयुष			
	राजस्व	७६,३८,००,०००	०	७६,३८,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण				
		राजस्व	१०,००,००,१००	०	१०,००,००,१००
४०.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर).				
		राजस्व	३,७०,२२,००,१००	**३०,००,०००**	३,७०,५२,००,१००
४३.	खेल और युवक कल्याण				
		पूंजी	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
४४.	उच्च शिक्षा				
		राजस्व	२,२६,९३,००,०००	०	२,२६,९३,००,०००
४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.				
		राजस्व	४,२६,००,०००	०	४,२६,००,०००
४८.	नर्मदा घाटी विकास				
		पूंजी	०	**२,९२,००,०००**	२,९२,००,०००
४९.	अनुसूचित जाति कल्याण				
		राजस्व	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण				
		राजस्व	३५,८९,०२,०००	०	३५,८९,०२,०००
५१.	अध्यात्म				
		राजस्व	११,००,००,१००	०	११,००,००,१००
५२.	चिकित्सा शिक्षा				
		पूंजी	१,७५,४४,००,०००	०	१,७५,४४,००,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास				
		राजस्व	९५,०१,१०,४३२	०	९५,०१,१०,४३२
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय				
		राजस्व	१,३३,८५,००,००,०००	०	१,३३,८५,००,००,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय				
		पूंजी	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
६४.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	३,८३,५६,६०,०००	०	३,८३,५६,६०,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण				
		राजस्व	१,०६,००,००,०००	०	१,०६,००,००,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन				
		पूंजी	५०,००,००,१००	०	५०,००,००,१००
	योग :	**राजस्व** :	२,०५,८७,३१,२०,०३२	**१३,१६,०१,२५०**	२,०६,००,४७,२१,२८२
		पूंजी :	२७,१६,१२,७२,८००	**२,९२,००,०००**	२७,१९,०४,७२,८००
		वृहद-योग :	२,३३,०३,४३,९२,८३२	**१६,०८,०१,२५०**	२,३३,१९,५१,९४,०८२

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १६ दिसम्बर, २०१९.

तरूण भनोत
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.